संख्या-09/2024/186/30-3-2024

प्रेषक,

नितिन कुमार गुप्त,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 29 जनवरी, 2024

विषय- निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम हुए वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-195स्टोर्स/इन्फ/2023-02/स्टोर/2020, दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम हुए 19 वाहनों के सापेक्ष प्रतिस्थापन स्वरूप 06 मे0 मारूति सुजुकी कम्पनी की कार, मॉडल संख्या MARUTI CIAZ SMART HYBRID SIGMA 1.5 5MT, BS-VI (SIAZ) जेम प्राइस पर समस्त करों सहित प्रति वाहन मूल्य रू0 8,26,279/- की दर से कुल रू0 49,57,674/- (रू0 उन्चास लाख सत्तावन हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नये वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी।
(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।
(3) वित्त विभाग के शासनादेश 17 मार्च, 2023 तथा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-"5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-परिवहन आयुक्त कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-464 -X-2023-24, दिनांक 19 जनवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

संख्या-09/2024/186 (1)/30-3-2024, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।